



राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवम् पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक एफ 2()पंरावि/प्रशा.1/वि.अ./संस्था/पदस्था/2017/ 421 जयपुर, दिनांक:- 3.3.2020

—:आदेश:—

विभागीय आदेश क्रमांक एफ 2(17)पंरावि/प्रशा.1/प्र.नि.समाप्त/वि.अ/2010/पार्ट/478 दिनांक 6.3.2019 जिसके द्वारा श्री इन्द्रसिंह राजपुरोहित की पूर्णतः तदर्थ आधार-पर विकास अधिकारी के पद पर प्रतिनियुक्ति पर ली गयी सेवाये समाप्त कर इनके पैतृक विभाग (उच्च शिक्षा विभाग) को लौटायी गयी थी, को निरस्त किया जाकर श्री राजपुरोहित को आदेशों की प्रतीक्षा में किया जाकर मुख्यालय पंचायती राज विभाग किया जाता है। श्री राजपुरोहित अपनी उपस्थिति पंचायती राज विभाग में प्रस्तुत करेंगे।

(गौरव चतुर्वेदी)

उपायुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव (द्वितीय)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. विशिष्ट सहायक, मा. उप मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्राविपरा, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, तकनीकी एवं उच्च शिक्षा विभाग राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव, पंचायती राज, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, आयुक्त कॉलेज शिक्षा को उनके पत्र क्रमांक एफ 23(367)स्था/आकाशि/RVRES/12/70 दिनांक 6.2.2020 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित है।
6. सम्बन्धित अधिकारी को पालनार्थ।
7. एसीपी मुख्यालय को एक प्रति प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त-आदेशों को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करावें।
8. आदेश पत्रावली।

उपायुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव (द्वितीय)